


कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर

किर्मल छाया भवन, मीरा दतार रोड, रांकर नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक ८/०२/२०१०



आदेश

क्रमांक/२१/२०१०, बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा स्वीकृत आबंटन में से जिला बिलासपुर के ४६२ बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रति श्रमिक रूपये १०,०००/- के मान से (राज्यांश) राशि रूपये ४६,२०,०००/- (रु. छियालिस लाख बीस हजार मात्र) का आबंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या-१८, शीर्ष- २२३० - श्रम और रोजगार, (०१)-श्रम (११२) बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, ०७०१- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (२८३७) बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक १६/२९०१५/बी-१/४/२०१०, दिनांक २.२.२०१० द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

el

सहायक श्रमायुक्त(बंधक श्रम)
श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर

पृ०क्रमांक/०१/बं.श्र./ब.अ./२००२/९६२-९७० रायपुर, दिनांक ०८/२/२०१०
प्रतिलिपि,

१. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
२. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ-१-१५/२००७/१६, दिनांक ५.२.२०१० के संदर्भ में सूचनार्थ।
३. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर
४. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
५. कलेक्टर, बिलासपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि यह राशि आहरण कर रूपये १०,०००/- प्रति श्रमिक के मान से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुर्नवास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। केन्द्रांश की राशि प्राप्त होते ही उक्त उल्लेखित श्रमिकों के लिये रूपये १०,०००/- प्रति श्रमिक के मान से राशि का आबंटन पृथक से जारी किया जावेगा।
६. कोषालय अधिकारी बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
७. सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
८. लेखा शाखा (बजट) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
९. आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

el

सहायक श्रमायुक्त(बंधक श्रम)
श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर